उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

यूपीएसआईडीसी काम्प्लेक्स,
ए–1/4, लखनपुर,
कानपुर–208024
फोन नं0 0512–2582851–53(पीबीएक्स),
फैक्स : 0512.2580797
वेबसाईट–www.onlineupsidc.com
ई मेल– feedback@upsidc.com

अपर मुख्य सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संदर्भ सं0 1239-1240/यूपीसीडा/औ0 क्षे0/RM(L) दिनांक 23-07-2020

विषयः कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत यूपीसीडा में विकासकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में बिना शुल्क समय विस्तारण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संदर्भ सं0 1877/77–4–20–142एन/08टीसी औद्योगिक विकास अनुभाग–4 दिनांक 02.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्राधिकरण की सभी परियोजनाओं में कम्प्लीशन प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में 06 माह का बिना शुल्क समय विस्तारण विकासकर्ताओं को प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण के प्रचलित नियमानुसार औद्योगिक भूखण्डों के आबंटियों/हस्तांतरियों को समय विस्तारण की सुविधा आबंटन/हस्तांतरण के उपरान्त अनुमन्य समयावधि के पश्चात् औद्योगिक परियोजना को उत्पादनरत संज्ञानित किये जाने की अवधि तक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाती है। औद्योगिक इकाईयों हेतु उद्यमियों द्वारा लीज निष्पादन होने के उपरान्त न्यूनतम 5 प्रतिषत आच्छादित क्षेत्रफल पर निर्माण तथा उत्पादन के साक्ष्य यथा विद्युत संयोजन, क्रय–विक्रय बिल, एमएसएमई प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 पंजियन व भुगतान चालान इत्यादि उपलब्ध कराये जाने पर इकाई को उत्पादनरत संज्ञानित किया जाता है।

प्राधिकरण के औद्योगिक भूखण्डों पर परियोजनाओं हेतु समय विस्तारण उरोक्तानुसार उत्पादनरत इकाई होने तक लिये जाने के प्रावधानों के दृष्टिगत उद्यमियों को औद्योगिक परियोनाओं का कम्प्लीशन प्रमाण पत्र लिये जाने हेतु बिना शुल्क 6 माह का समय विस्तारण प्रदान किये जाने से उद्यमियों को इकाई उत्पादनरत करने तक उक्त शासनादेश द्वारा प्रदान किये गये 6 माह का बिना शुल्क के समय विस्तारण का लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है क्योंकि औद्योगिक परियोजनाओं में कम्प्लीशन प्रमाण पत्र उद्यमी द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण पूर्ण करने तथा इकाई प्रचालन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग एवं अन्य वैधनिक अनापत्तियां प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत किया जाता है तथा इसके पश्चात् इकाई उत्पादन में लाई जाती है। अतः वर्तमान में प्राधिकरण के औद्योगिक भूखण्डों पर उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य बिना शुल्क समय विस्तारण प्रभावी नहीं हो रहा है।

Scanned with CamScanner

अतः प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.07.2020 के अनुसार विकासकर्ताओं द्वारा सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के समय बिना शुल्क 6 माह का समय विस्तारण उपलब्ध कराने के निर्देष दिये गये हैं जिससे यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के औद्योगिक भूखण्डों के आवंटियों द्वारा कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत उनके द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाईयों को उत्पादनरत संज्ञानित किये जाने के पूर्व निःशुल्क 6 माह की अवधि के लिये समय विस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि प्राधिकरण के समस्त औद्योगिक विकास क्षेत्रों के औद्योगिक भूखण्डों के आवंटियों/हस्तांतरियों को कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत कम्प्लीशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त उत्पादनरत इकाईयों को भी संज्ञानित कराने के सम्बन्ध में 6 माह की अवधि का निःशुल्क समय विस्तारण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने की कृपा करें जिससे कि प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में यथाशीघ्र उद्यमियों को समुचित प्रोत्साहन मिल सके।

भवदीय,

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 /यूपीसीडा/औ0 क्षे0/ दिनांक

प्रतिलिपिः अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner